



THE PROCESS OF

Filing for compensation

IN CASE OF DISABILITY/ GRIEVOUS INJURY TO HUMAN DUE TO ATTACK BY WILD ANIMAL

1

- Report the incident to the Forest Department within 7 days
- Apply for compensation within 30 days of the incident

- Obtain a certificate stating details and reasons of injury from the medical officer of government/ government recognized institution

2

3

- Submit the **original medical certificate** to the Forest guard (FD)
- Submit the **application*** to the Forest Guard

- Keep a copy of all submitted documents and records

4

Relief in case of permanent disability - Rs. 2,00,000/-
Relief in case of partial disability/ grievous injury-
Rs.75,000/-

Who can provide the medical certificate?

- Health Centers (PHC, CHC, SC)
- Civil/ General hospitals
- Medical college hospitals
- District hospitals
- Sub-district hospitals
- Women's hospitals

***For application and other information
contact - +91 76500 02777**



**nature
conservation
foundation**



वन विभाग से

राहत पाने संबंधी कदम

यदि व्यक्तियों पर जंगली जानवरों के हमले से उन्हें सम्पूर्ण / आंशिक अक्षमता हो जाती है या गंभीर चोट आती है।

1

- इस घटना के बारे में 7 दिन के अंदर वन विभाग को सूचित करना चाहिए।
- वन विभाग को 30 दिन के अंदर आवेदन पत्र* दिया जाना चाहिए।

- चोट के विवरणों और कारणों के बारे में बताते, किसी सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैडिकल संस्थानों के मैडिकल अधिकारी का प्रमाण पत्र / रिपोर्ट ली जानी चाहिए।

2

3

ये दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) को सौंपें।

- मैडिकल ऑफिसर का मूल मैडिकल सर्टिफिकेट / रिपोर्ट
- वन विभाग को आवेदन

- सभी दस्तावेजों की प्रति, जमा कराने के सबूत के रेकॉर्ड के रूप में अपने पास रखनी चाहिए।

4

किसी व्यक्ति के स्थायी रूप से अक्षम होने पर

- Rs. 2,00,000/-

किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगने / आंशिक अक्षमता होने पर -

Rs.75,000/-

मेडिकल सर्टिफिकेट कौन प्रदान कर सकता है?

- सार्वजनिक, सामुदायिक, उप स्वास्थ्य केन्द्र (PHC, CHC, SC)
- सिविल, जनरल, सामान्य हस्पताल
- मैडिकल कॉलेज हस्पताल
- जिला हस्पताल
- उप-जिला हस्पताल
- महिला हस्पताल

***आवेदन संबंधी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क
करे - +91 76500 02777**



**nature
conservation
foundation**